फर्द अहकाम

नाम न्यायालय   नारायण   बनाम   लक्ष्मीनारायण

केस संख्या   145/2015

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	10/6/24	पत्रावली प्रस्तुत हुई। पी.ओ. ... अवकाश के ... [illegible] ... नहीं ... दिनांक 24/6/24 को ... हो।
NO instruction [signature] स्टेनो 24/6/24	24/6/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण वादी साक्ष्य हेतु नियत है वादी को दिनांक 13/3/23 को निर्देशित किया गया था कि आगामी पेशी पर साक्ष्य प्रस्तुत करे। वादी की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किये गये। वादी को साक्ष्य पेश करने हेतु दिनांक 13/3/23 से 24/6/24 तक 17 पेशीयाँ नियत की गई। अर्थात वादी की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किये गये। वादी को साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने हेतु अनेक बार समुचित अवसर प्रदान किये गये। लेकिन वादी की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत नही किये। आदेश 16 नियम 3 जा०दी० के तहत पक्षकार गवाह/साक्ष्य प्रस्तुत नही करने के लिए पर्याप्त कारण तथा जहा न्यायालय मे उपस्थित वाद का कोई पक्षकार, न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर, बिना किसी वैध कारण साक्ष्य प्रस्तुत करने से इंकार कर देता है वहाँ न्यायालय उसके विरुद्ध निर्णय सुना सकता है या वाद के संबंध मे उचित आदेश दे सकता है। अत: प्रकरण वाद मे वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अनेक समुचित प्रदान किये जाने पर भी वादी ने साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई। वादी ने न्यायालय के आदेशो की पालना नही की है अत: वाद का वाद आदेश 16 नियम 3 जा०दी० के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.06 16:03:17 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम
बनाम

या	आज्ञा विस्तृत रूप से